**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2280**

**06 दिसम्बर, 2016 को उत्तर के लिए**

**जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के जवानों की मौत**

**2280. श्री आर. वैद्यलिंगम:**

 क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अनेक जवान मारे गए हैं, यदि हां, तो अक्तूबर, 2016 तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन शहीद जवानों के परिवारों को सरकार द्वारा क्या-क्या मुआवजा और अन्य राहत प्रदान की गई है ; और

(ग) अक्तूबर, 2016 तक पकड़े गए आतंकवादियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): वर्ष 2016 में, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास और भीतरी क्षेत्र में आतंकवादी कार्रवाई के कारण भारतीय सेना के कुल 40(चालीस) सैनिक शहीद हुए ।

(ख): दिनांक 01.01.2016 से शहीद हुए रक्षा कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को भुगतान किए गए अनुग्रह एकमुश्त प्रतिपूर्ति के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

|  |  |
| --- | --- |
| ब्यौरे | राशि |
| आतंकवादी आदि द्वारा हिंसा के कार्यों के कारण ड्यूटियों के दौरान मृत्यु | 25 लाख रुपए |
| युद्ध में शत्रु कार्रवाई अथवा सीमा पर हुई मुठभेड़ अथवा उग्रवादियों, आतंकवादियों आदि के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान घटित मृत्यु | 35 लाख रुपए |

शहीद हुए रक्षा कार्मिकों को सेना समूह बीमा निधि से स्वीकार्य राशि निम्नप्रकार है :-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| रैंक | 30/09/2016 तक | 01/10/2016 से |
| अफसर | 60 लाख रूपए | 75 लाख रुपए |
| जेसीओ/अन्य रैंक | 30 लाख रुपए | 37.5 लाख रुपए |

 इसके अतिरिक्त, उदारीकृत परिवार पेंशन, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति -उपदान आदि जैसे अन्य लाभ वर्तमान नियमों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं ।

(ग): गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के विरूद्ध मौजूदा कानूनी उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*